राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-II) विभाग

सं.एफ 5(2)डीओपी/ए-II/91 पार्ट-II

जयपुर, दिनांक: 16.06.2022

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **अनुसूची- I में संशोधन.-** राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 की अनुसूची-I (राज्य सेवा के पद) में,-

(i) क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ संख्यांक 3 की विद्यमान अभिव्यक्ति "50%" के स्थान पर अभिव्यक्ति "20%" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ संख्यांक 4 की विद्यमान अभिव्यक्ति "50%" के स्थान पर अभिव्यक्ति "80%" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

16/6/2022

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव

39/2022